

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)  
मिशल संख्या:-6 / 2023 निर्णय दिनांक :-30.01.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

सरकार जयें तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

-प्रार्थी-

बनाम

1. किशनलाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
2. रतनलाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
3. सवाईराम पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
4. लाडा पुत्री नारायण जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
5. गंगा देवी पत्नी पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
6. शिवराज पुत्र लालाराम जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.
7. सन्तरादेवी पत्नी लालाराम जाति गुर्जर निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक राज.


-अप्रार्थी गण-

उपस्थिति :-  
पेरोकार सरकार

एकपक्षीय कार्यवाही  
विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 1 ता 7

### प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू-राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आंवटी नारायण पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर को दिनांक 24.09.1965 को ग्राम थांवला में खसरा नम्बर 8, 11 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। जिसे गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड किया गया। उक्त आवंटित भूमि के भूप्रबन्ध बाद नये खसरा नम्बर 392 रकबा 0.91 है0 दर्ज किया गया। ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से नये ख. नं. 112 रकबा 0.91 है0 दर्ज किये गये। उक्त गैर खातेदार को ग्राम थांवला खसरा नम्बर 112 रकबा 0.91 है0 में से रकबा 0.87 है0 रकबे के खातेदारी हक प्रदान किये जाने के आदेश प्रदान करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी हक का नामान्तकरण दर्ज किया जाकर खातेदारी अधिकार दे दिया गया है। उक्त खातेदारी दिये जाने के बाद ख. नं. 3352/112 रकबा 0.04 किस्म बारानी 3 गैर खातेदार किशनलाल रतनलाल लाडा सवाईराम पिता नारायण वगे. के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया है जो कि भूप्रबन्ध द्वारा आवंटित भूमि के मुकाबले अधिक दर्ज कर दिये जाने से रहा है। अतः माननीय न्यायालय



से निवेदन है कि आवेदन पत्र के चरण सं. 4 में अंकित भूमि में सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।


अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज भू आवंटन सलाहकार समिति कैम्प थांवला दिनांक 24.09.1965 से नारायण पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर को सिवायचक भूमि ख. नं. 8, 11 में क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा के गैर खातेदारी हक पर कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गई थी। कृषि भूमि आवंटन की आज्ञा प्रपत्र दिनांक 24.09.65 रकबा में साढ़े तीन बीघा जमीन आवंटित की गई। बाद भू-प्रबन्ध ख. नं. 8, 11 में क्षेत्रफल 3 बीघा 10 बिस्वा के नये ख. नं. 392 रकबा 0.91 है० बनाये गये। ग्राम थांवला से नवीन राजस्व ग्राम बनने से नये ख. नं. 112 रकबा 0.91 है० बनाकर अप्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज किये गये। जबकि 3 बीघा 10 बिस्वा का है० में परिवर्तन करने पर 0.87 है० होते हैं अर्थात् अप्रार्थीगण के खाते में 0.87 है० के स्थान पर 0.91 है० भूमि लगा दी गई, जो कि 0.04 है० अधिक है। तहसीलदार देवली ने प. ह. थांवला के प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2022 पर ख. नं. 3351/112 रकबा 0.87 है० किस्म बारानी 3 खातेदार व ख. नं. 3352/112 रकबा 0.04 है० गैर खातेदार, बनाकर अप्रार्थीगण जो आवंटी नारायण पुत्र जगन्नाथ जाति गुर्जर लालाराम के जायज कायम मुकामान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार है, को ख. नं. ख. नं. 3351/112 रकबा 0.87 है० किस्म बारानी 3 के खातेदारी अधिकार दिये गये तथा I. नं. 3352/112 रकबा 0.04 है० भूमि आवंटन से 0.04 है० अधिक होने से, गैर खातेदारी के रूप में दर्ज की गई। अतः ख. नं. 3352/112 रकबा 0.04 है० भूमि को गैर खातेदारी से सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड करने हेतु तहसीलदार देवली ने न्यायालय में प्रार्थना पेश किया है। अतः राजस्व दस्तावेजों का विवेचन करने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आराजी ख. नं. 3352/112 रकबा 0.04 है० भूमि वाके ग्राम थांवला तहसील देवली से गैर खातेदार अप्रार्थीगण का नाम विलोपित कर, इस भूमि को सिवायचक दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने व नियमानुसार कब्जेराज लेने हेतु तहसीलदार देवली को अनुमत किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
देवली